कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– 465 FP/UK/HYD/22889/2016 दिनॉकः देहरादून 18 अगस्त, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार पर्यावरण,
वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून ।

विषय– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सूपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल–सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में।
(FP/UK/HYD/22889/2016)

सन्दर्भ–भारत सरकार की पत्रांक सं0–8बी/यू0सी0पी0/01/146/2018/एफ0सी0/134 दिनांक 20.05.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि सन्दर्भित पत्र सं0 से दर्ज आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार किया जा रहा हैः–

1. आपत्तियां– In reply to point No. 07 of REC query. it is mentioned that the land for CA has been Selected in degraded RF land in tons Forest Division now. It is seen from DSS Analysis of 4 no of proposed CA sites that 10.00 ha area falls in VDF and 25.00 HA Falls in MDF. State Government may select suitable areas for raising CA ensuring that no VDF or MDF is falling in the area and submit upload required documents maps. A copy of the DSS Analysisi report showing patch-wise VDF, MDF, OF, NF, area is enclosed for ready reference.

निराकरण– उक्त आपत्ति के क्रम मेंपूर्व में चयनित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात पाया गया कि देवढुंग कक्ष सं0–03 में 10.00 है0, रतेड़ी कक्ष सं0–04 में 10.00 है0, क्षेत्र वास्तव में झाडीनुमा एवं रिक्त है, क्षेत्र का वन घनत्व 0.4 से कम हैं। क्षेत्र ढालनुमा होने के कारण वहाँ विद्यमान वृक्षों के छत्र आपस में मिलने के कारण घने प्रतीत होते है। यै क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।

जाख कक्ष सं0–13बी के अन्तर्गत पूर्व में प्रस्तावित किये गये (20.00 है0) क्षेत्र में से मात्र 10.00 है0 क्षेत्र ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। अवशेष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु घने क्षेत्रों को हटा कर पुनः जाख कक्ष सं0–08बी में 10.00 है0 एवं रामा ब्लॉक कक्ष सं0–04ए में 10.00 है0 अन्य क्षेत्रो का चयन किया गया है। जिनका वनभूमि घनत्व 0.4 से कम है, तथा वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। सभी चयनित क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	वनीकरण के लिए चयनित क्षेत्र	क्षेत्रफल (है0 में)	उपयुक्त/अनुपयुक्त	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	देवढुंग कक्ष सं0–03	10.00	उपयुक्त	क्षेत्रों के उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं जियो रॅफरेन्स मैप संलग्न प्रेषित है।
2	रतेड़ी कक्ष सं0–04	10.00	उपयुक्त	
3	जाख कक्ष सं0–13बी	10.00	उपयुक्त	
4	जाख कक्ष सं0–08बी	10.00	उपयुक्त	
5	रामा ब्लॉक कक्ष सं0–04ए	10.00	उपयुक्त	

2. आपत्तियां– It is seen from the " Summary of CAT plan Activities and Financial Outlay" given in Chapter-7 of CAT plan provided with the hard copy that the tinancial outlay allocated for item no-1,2 and 4 comes to 30% of the total project cost but this cost should not have been more than 5% of the cost of CAT plan as per para-9-2 (v) of the guidehines of the Ministry. Moreover, The Monitoring Committee as per Composition provided in pare 9-2 (vii) of the guidelines has not been proposed in the CAT plan. State Govetnment may review the matter and ensure necessary corrections.

निराकरण–बिन्दु सं0–2. कैट प्लान के सम्बन्ध में उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला उत्तरकाशी के पत्र सं0–1727/12–1 दिनांक 27.05.2020 के द्वारा निराकरण कर दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 6/8/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

(3)

कार्यालय–उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला, दूरभाष एवं फैक्स नं0- 01373-223433, Email- gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 1727 /12–1 पुरोलाः दिनांक 27/5 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्द्रिरानगर फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड़, देहदादून।

विषयः– **जनपद–उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल–सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 हैं0 वन भूमि के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय भारत सरकार का पत्र सं0–8बी./यू.सी.पी./01/146/2018/एफ.सी./134 दिनांक 20.05.2020।**

महोदय,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से जखोल–सांकरी जल विद्युत परियोजना के कैट प्लान के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य हेतु आपत्ति के सम्बन्ध में बताया गया हैं कि कैट प्लान के अन्तर्गत अध्याय–7 के कम सं0–01, 02 व 04 में कुल लागत का 30 प्रतिशत धनराशि उपयोग की जानी हैं जो कि मंत्रालय की गाईड लाईन के पैरा सं0– 9.2 (v) के अनुसार 5 प्रतिशत होना चाहिये। अतः इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराया जाता हैं कि प्रारम्भिक आकलन परियोजना की लागत का 2 प्रतिशत धनराशि रू0 735 लाख का कैट प्लान तैयार किया गया हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता हैं कि कैट प्लान की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detail Project Report) तैयार करते समय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाईन की अनुपालना निम्नलिखित गतिविधियॉ की जायेगीः–

(I) Check Dams, Gully plugging, Gabion dams, Trenches and vegetative Structures.
(II)Water conservation measures, plantiton of local India indegenious trees & shrub species, medicinal plants etc.
(III) Fodder development small timber fire wood.
(IV) Socio-economic component including supply of CNG.
(V) Infrastructure component like construction of building, vehicle,salary of staff etc.

उपरोक्त बिन्दुओं की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(बलवन्त सिंह शाही)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन वन्यजीव सुरक्षा व आसूचना उत्तराखण्ड़, देहरादून को मय संलग्नक के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।